17/2025 सीताराम बनाम तोरन सिंह

तारीख हुक्म	under 212 RTA, 1955 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील जारी हुए
23/05/2025	पत्रावली प्रकरण दर्ज कर पेश हुई। वकील वादी फरिकेन उप०, प्रतिवादी पक्षकारान को तामिल जारी की गई। प्रतिवादी पक्षकारान का अ० दिनांक किसी भी अधिवक्ता का वकालतनामा पेश नहीं। प्रतिवादी क्रम 1, 2 व 3 बिना बँटवारा किए गए खसरा नम्बरान को बेचने पर आमादा हो रहे है। जिससे मूल वाद में बहु वाद उत्पन्न होने की संभावना है अतः प्रतिवादीगण 1, 2 व 3 तथा प्र०नि० 9 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है, कि मूल वाद मे तार्फैसला खसरा नम्बरान सं० 69, 70, 72 कुल किता 03 व खसरा 28 के किसी भाग को विक्रय (बेचान) अथवा अन्य किसी भी तरह का हस्तान्तरण न करें। मौका/रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। प्रतिवादी को अन्य कोई आपत्ति हो तो आगामी दिनांक 23/06/2025 तक पेश करें 23/05/2025 उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा	सीताराम वाली
18.6.25	पत्रावली पेश अ० वकील वादी [illegible] प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता [illegible] पक्षकारान [illegible] [illegible] के [illegible] [illegible] के [illegible] [illegible] [illegible]